न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2015 RCMS 2015/00063

प्रार्थी

1. धनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीराज जी का बास ग्राम श्यामगढ, तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

मोटा पुत्र बींजा जाति खाती मृतक जरिये वारिसान :–

1. **रामकरण पुत्र मोटा (मृतक) जरिये वारिसान**
   - 1/1 बंसीलाल पुत्र रामकरण
   - 1/2 भंवरलाल पुत्र रामकरण
2. **उगमाराम पुत्र मोटा (मृतक) जरिये वारिसान जांगिड़ ब्राहम्ण**
   - 2/1 बाबूलाल पुत्र उगमाराम
   - 2/2 सोहनलाल पुत्र उगमाराम
   - 2/3 नानूराम पुत्र उगमाराम
   - 2/4 नेमाराम पुत्र उगमाराम
3. **भींवाराम पुत्र नोला जाति भांभी (मृतक) जरिये वारिसान**
   - 3/1 धन्नी बैवा भींवाराम
   - 3/2 खींवाराम पुत्र भींवाराम
   - 3/3 शिवराम पुत्र भींवाराम
   - 3/4 मानाराम पुत्र भींवाराम
   - 3/5 दानाराम पुत्र भींवाराम समस्त निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी।
4. मोहन देवी पुत्री भुवानाराम
5. गोपीराम पुत्र भुवानाराम निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी
6. प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, कुचामनसिटी
7. भंवराराम पुत्र नाथुराम निवासी दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8. बंसीलाल पुत्र रामकरण
9. भंवरलाल पुत्र रामकरण
10. कस्तुरी पत्नी रामकरण जाति जांगिड निवासी कालोली तहसील कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।
12. मोहनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीराज जी का बास पोस्ट श्यामगढ तहसील नांवा जिला नागौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 व आदेश 40 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.03 13:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 8, 9, 10

निर्णय

दिनॉक :– 06/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खैवट खतौनी राजस्व रेकर्ड सवंत 2012 से 2015 के अनुसार खैवट खतौनी सं0 2 व 33, 24, 58 के अनुसार नारायण सिंह पुत्र जवाहरसिंह कौम राजपूत जागीरदार दर्ज थे एवं उक्त खतौनी के खसरा नं0 30 व 36 पर राजस्व रेकर्ड सवंत 2012 से 2015 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 के पिता जोरसिंह काबिज काश्त थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 काबिज है। उपरोक्त खसरा सं0 30 रकबा 85 बीघा 8 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा नं0 36 रकबा 61 बीधा 18 बीस्वा कुल कीता 2 रकबा 147 बीाा 6 बिस्वा पर वादी के पिता कब्जेकाश्त होने से रिजम्शन ऑफ जागीर अधिनियम के उन्मूलन के पश्चात खातेदार राजस्व रेकर्ड के अनुसार दर्ज रहे। साबिक खसरा नं0 30 एवं 36 के नये नंबर दौराने भू प्रबन्ध निम्नानुसार बने। खसरा नं0 25 रकबा 2.30 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 27 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 28 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 29 रकबा 3.90 है0, खसरा नं0 30 रकबा 3.40 है0, खसरा नं0 31 रकबा 4.92 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 33 रकबा 1.14 है0, खसरा नं0 44 रकबा 1.40 है0, खसरा नं0 43 रकबा 5.48 है0, खसरा नं0 45 रकबा 3.14 है0। साबिक खसरा नं0 30 एवं 36 के बने नये खसरा नम्बरान 25, 26, 27, 28 एवं 29 जमाबंदी सवंत 2067 से 2070 के अनुसार अप्रार्थीगण खींवाराम, शिवराम, दानाराम, मानाराम पिसरान भींवाराम, धन्नी पत्नी भींवाराम, मोहनी देवी पुत्र भुवानाराम, गोपीराम पुत्र भुवानाराम जाति मेधवंशी के नाम होकर उक्त मोहनी व गोपीराम का हिस्सा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी दर्ज हुये। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2067 से 2070 [illegible] जरिये नामान्तरकरण सं. 268 दिनॉक 02.02.2013 से हुए वि[illegible] शिवराम दानाराम मानाराम व धन्नीदेवी पत्नि भींवारा जाति मेघवंशी सा. दह [illegible] खसरा नम्बर 26, 28 मोहनी देव

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्री भुवानाराम गोपीराम पुत्र भुवानाराम राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामन दर्ज हुए इसी प्रकार खसरा नम्बर 27, 28 व 29 भी इन्ही के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहा। खसरा नं0 31, 32, 33, 43, 44, 45 का नाम दर्ज रहा एवं खसरा नं0 43 के हिस्से में से बंसीलाल, भंवरलाल पिसराम रामकरण व किस्तुरी पत्नी रामकरण, बाबूलाल, सोहनलाल, नानूराम, नेमाराम पिसरान उगमाराम नाबालिग की वली अण्डचली पत्नी उगमाराम जाति जांगिड साकिन दह दर्ज हुये। बंसीलाल, भंवरलाल व किस्तुरी का हिस्सा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के नाम दर्ज हुआ जो जरिये नामान्तरकण सं 236 दिनांक 11.10.2011 को पंजाब नेशनल बैंक दातारामगढ के पक्ष में स्वीकृत किया गया। नामान्तरण सं0 210 दिनांक 09.12.2010 को हुये विभाजन निम्न बंटवारा भी किया गया भंवराराम पुत्र नाथूराम जाति जाट भूरडकों की ढाणी दातारामगढ खसरा नं0 43 रकबा 1.46 है0 दर्ज किये गये। राजस्व रेकर्ड जामबंदी संवत 2012 से 2015 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 के पिता राजस्व रेकर्ड में खातेदार थे। संपूर्ण साबिक खसरा नं0 30 व 36 प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं 11 के पिता के नाम दर्ज रहा एवं मौके पर आज भी इनका कब्जा है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से अप्रार्थी सं 1 लगायत 11 का नाम राजस्व रेकर्ड कर दिया जो गलत इन्द्राज है इसलिए प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया बहुत मजबुत है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण अपने मनसुबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनिय क्षति होगी एवं नानाप्रकार के मुकदमें बाजी पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की वे स्वयं, अपने ऐजेण्ट, कर्मचारियों, नोकरो, पावर ऑफ अर्टोनी व अन्य किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुतकिल ना करे एव ना ही प्रार्थी के कब्जेकास्त में हस्तक्षेप करें। कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण में से कुछ प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी के पास आये एवं उक्त आराजी को अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने हेतु डराने धमकाने लगे यदि वे खसरा नम्बर साबिक 30 व 36 जिसके नये व वाद पत्र में अंकित पेरा संख्या [illegible] लिखे गये है को नही बेचा तो वह उक्त खसरा नम्बरान को बेच देंगे क्योंकि राजस्व रेकार्ड में इनका नाम है। प्रार्थी द्वारा माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक 07.06.2014 को वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये यथास्थिति के आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण को है। प्रार्थी पुनः अपनी आराजी पर गया तो गांव में कुछ लोगो ने बताया कि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी के कुछ भाग को जरिये मौखिक व साधारण लिखित द्वारा कुछ अनजान व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है एवं जगह–जगह खड्डे खोद दिये है इस प्रकार प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के उपरोक्त आदेश दिनॉक 07.06.2014 की भी पालना नही कर रहे है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर जो प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 3 में वर्णित की गई है पर रिसीवर नियुक्त किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 8, 9, 10 ने जवाब प्रस्तु किया। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। शेष अप्रार्थीगण गैरहाजीर होने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा पैरा सं. 3 में अंकित वादग्रस्त भूमि में रिसीवर नियुक्त किये जाने का कथन किया है। अप्रार्थी वकील ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि उनकी कभी खातेदारी की रही नही है तथा लगातार अप्रार्थीगण के पूर्वजों एवं उनके पश्चात उनके वारिसान का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं मूल प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 16.04.2018 को मेरिट पर सुनवाई होकर निस्तारण हो चुका है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज हो चुका है। अतः रिसीवर प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र सम्वत 2012 से 2015 की खतौनी के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विभिन्न खातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है, जिसकी पुष्टि वर्तमान जमाबंदी नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

सम्वत 2075–2078 ग्राम कालोली पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खाता सं. 13 खसरा नम्बर 25, 26, 520/29 कुल रकबा 3.23 हैक्टर में खींवाराम दानाराम पुत्र भींवाराम धन्नी पत्नि भींवाराम मानाराम शिवराम पि. भींवाराम मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता 59 खसरा नम्बर 510/43, 561/31, 562/31 कुल रकबा 6.62 हैक्टर में किस्तुरी पत्नि रामकरण बंशीलाल भंवरलाल पि. रामकरण जाति जांगिड़ ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 32, 33, 44, 511/43, 559/45, 560/45 कुल रकबा 8.3965 हैक्टर में नेमाराम नानूराम बाबूलाल सोहनराम पि. उगमाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता सं. 97 खसरा नम्बर 27, 28, 29 कुल रकबा 3.23 हैक्टर में गंगादेवी पत्नि गोपीराम लालाराम सुखाराम पुत्र गोपीराम संतोष कुमारी पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता सं. 129 खसरा नम्बर 30 रकबा 1.45 हैक्टर में नेमाराम महावीर पि. मांगूराम जाति जाट सा. चावण्डिया खातेदार दर्ज है। इससे साबित है कि अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रावधानो अनुसार खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार से रिसीवर कार्यवाही एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त होना एवं खातेदारी दर्ज चली आने के बिन्दू मूल वाद पत्र में तय होने है। वर्तमान खातेदार कृषक अपनी आजिविका उपरोक्त खातेदारी भूमि से चला रहे है। ऐसी सुरत में वादग्रस्त भूमि पर न्यायिक दृष्टि से रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य पाय गया।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनॉक 06/11/2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:45 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)